सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 58/15 **निर्णय दिनांकः 8/1/2018**

1. दरिया सिंह
2. हवासिंह पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी 12 बी.एल.डी.
3. बलबीरसिंह तहसील पूगल जिला बीकानेर।
4. सन्तराम
5. जगदीश

अपीलांट्स

–बनाम–

1. खलील खॉ पुत्र हाजी मुराद खॉ जाति मुसलमान निवासी 12 बीएलडी(बी) तहसील पूगल जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 30–04–2015
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः–

1. श्री उमेश ऋषि, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री हरीश व्यास, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के निर्णय दिनांक 30–04–2015 जिसके द्वारा अपीलांट को आवांटित भूमि का विधि विरूद्व तरीक से पुनः रेस्पोडेन्ट को आवंटन किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि

आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि वाके चक 12 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 73/49 के किला नम्बर 1 ता 21 में कुल 21 बीघा भूमि निहित है। इसी मुरब्बें में किला नम्बर 22 ता 25 की 4 बीघा भूमि आराजीराज दर्ज होने पर अदालत मातहत द्वारा उक्त आराजीराज भूमि का आवंटन अपीलांट को दिनांक 06–12–1995 को किया गया। अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर के आवंटन पश्चात् अपीलांट के पक्ष में आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् निर्धारित समस्त राशि भी जमा करवाई जा चुकी है। अपीलांट आवंटन पश्चात् से ही वादगत् भूमि पर काबिज काश्त है। चूंकि आराजी जैर का आवंटन पूर्व में ही अपीलांट को किया जा चुका था तो ऐसी स्थिति में उक्त आराजी का आवंटन अन्य किसी को नहीं किया जा सकता था। अदालत मातहत इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 30–04–2015 को स्माल पेच में कर दिया गया है। अदालत मातहत का उक्त आवंटन आवंटन नियमों के विपरीत होने से व पूर्व में ही आवंटनशुदा होने के कारण उक्त आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य व एबइनिशियोवाईड आदेश है।

उन्होंने आगे बताया कि वादगत् भूमि कभी भी आराजीराज भूमि नहीं रही है। हल्का पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट के स्माल पेच आवंटन के समय आराजी जैर अपीलांट को आवंटित भूमि थी तथा इसप्रकार उक्त भूमि रकबाराज नहीं थी। वादगत् भूमि अपीलांट के मुरब्बें में ही निहित है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन का प्रथम अधिकारी अपीलांट ही है व इसी आधार पर अदालत मातहत द्वारा वर्ष 1995 में उक्त भूमि का स्माल पेच आवंटन अपीलांट को किया गया था। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को आवंटन से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस,

सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया

गया है। जबकि उक्त भूमि अपीलांट को आवंटितशुदा व अपीलांट के मुरब्बें में ही निहित थी। उक्त तथ्य अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को ताक पर रखते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा आवंटन पश्चात् तमाम किश्तें जमा करवाई जा चुकी है। इस आश्य का नोट टीआरए शाखा द्वारा अंकित किया गया है। रेस्पोडेन्ट का आवंटन पश्चात्वर्ती आवंटन है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन खारिज किये बिना उक्त आराजी का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 30—04—2015 को कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया उक्त आवंटन पश्चातवर्ती आवंटन है। जो निरस्त योग्य है।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया आदेश है जो स्पष्टतः क्षेत्राधिकार से बाहर पारित आदेश है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाध ाक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में ए.आई.आर (एस.सी) 1987 पेज 1353, आरआरडी 1996 पेज 457, आरआरडी 1994 पेज 606 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—04—2015 के विरूद्व अपील दिनांक 22—06 —2015 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने के संबंध में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये है वे समस्त तथ्य काल्पनिक तथ्य है। उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलांट को मियांद को कण्डोन किये जाने लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आगे बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 30—04—2015 को आराजी जैर का आवंटन

किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया।

—4—

रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त आवंटन के बाद समस्त राशि जमा करवाई जा चुकी है व राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट का नाम भी दर्ज हो चुका है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को इस आधार पर आवंटन किया गया था कि रेस्पोडेन्ट की भूमि उक्त मुरब्बे के समीपस्थ भूमि स्थित है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा स्मालपेच में उसी मुरब्बे की भूमि आवंटन कराने का अधिकारी है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के आवंटन से पूर्व संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट व रिकार्ड की रिपोर्ट प्राप्त की गई थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर वादगत् भूमि आराजीराज दर्ज होना बताया जाकर किसी भी काश्तकार का वादगत् भूमि पर कब्जा नहीं दर्शाया गया है। अदालत मातहत द्वारा सभी संबंधित काश्तकारों को आवंटन से पूर्व नोटिस जारी किया गया था। उक्त नोटिस जरिये चस्पांदगी तहसील कार्यालय से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये। अतः अपीलांट का यह कथन कि वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व उसे कोई नोटिस जारी नहीं किया गया स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर की रिपोर्ट पटवारी व नजरी नक्शें के अनुसार व रेस्पोडेन्ट की प्राथमिकता के आधार पर राजस्थान उपनिवेशन(इगानप उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14 (1) के तहत आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है। रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् से ही वादगत् भूमि पर काबिज काश्त है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में आगे कथन किया कि राजस्व कर्मचारियों यथा तहसीलदार/पटवारी की गलती का खामियाजा रेस्पोडेन्ट को नहीं दिया जा सकता। अपीलांट द्वारा आवंटन पश्चात् आज दिनांक तक वादगत् भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है। न्याय का यह सिद्वान्त है कि सोया हुआ व्यक्ति न्याय की गुहार नहीं कर सकता। जब अपीलांट द्वारा आवंटन पश्चात् आज दिनांक तक वादगत् भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलांट वादगत् भूमि पर अपना अधिकार समाप्त कर चुका है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि रिकार्ड में आराजीराज व मौके पर किसी का कब्जा नहीं होने के आधार पर रेस्पोडेन्ट को आवंटित की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं

है। अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु के साथ—साथ गुणावगुण पर भी खारिज फरमाते हुए रेस्पोडेन्ट को किया गया आवंटन बहाल रखा जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2012 पार्ट II पेज 1177, आरआरटी 2011 पार्ट II पेज 851, आरआरटी 2013 पार्ट I पेज 61 व 64, आरआरटी 2014 पार्ट I पेज 154 व आरआरटी 2016 पार्ट I पेज 185 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—04—2015 के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष अपील दिनांक 24—06—2015 को पेश की गई है। चूंकि प्रकरण में मियांद के बिन्दु के स्थान पर गुणावगुण का बिन्दु महत्वपूर्ण है तथा न्याय की यह मंशा रही है कि जहॉ मामलें का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो ऐसे प्रकरणों में मियांद को कण्डोन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर पारित किया जाना न्यायोचित होगा। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार घोषित की जाती है।

(2) प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट के प्रथम आवंटन को सही ठहराने व द्वितीय आवंटन को निरस्त करने हेतु अदालत मातहत के निर्णय को यह कह कर चुनौती दी गई कि पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया।

(3) हमने पक्षकारों को सुना व यह पाया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि वाके चक 12 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 73/49 के किला नम्बा 1 ता 21 तादादी 21 बीघा भूमि स्थित है। अपीलांट के उक्त मुरब्बें में 4 बीघा भूमि रकबा राज होने पर अपीलांट द्वारा बतौर स्मालपेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर अदालत मातहत द्वारा चक 12 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 73/49 के किला नम्बर 22 ता 25 की 4 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक

06–12–1995 को किया गया था। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् अपीलांट के हक में आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया व कब्जा भी अपीलांट को दे दिया गया। अपीलांट द्वारा आवंटित भूमि की किश्तें भी जमा करवाई जा चुकी थी।

(4) अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् दिनांक 30–04–2015 को रेस्पोडेन्ट को उक्त आराजी जैर अर्थात चक 12 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 73/49 के किला नम्बर 22 ता 25 की 4 बीघा भूमि का आवंटन लधुपट्टी के रूप में किया गया। रेस्पोडेन्ट का कथन कि उक्त भूमि आवंटन दिनांक को शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज थी तथा अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आराजीराज होने की पुष्टि पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त किया गया है। स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि वादगत् भूमि का अपीलांट को वर्ष 1995 में आवंटन किया गया था। अपीलांट के आवंटन के पश्चात् वादगत् भूमि के आवंटन का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का कर्तव्य राजस्व अमलामाल का है ना की अपीलांट स्वयं का है।

(5) इस संबंध में तत्कालीन पटवारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। ताकि भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही की पुनर्वारति ना हो। प्रकरण में राजस्व कर्मचारियों की कार्य के प्रति उदासीनता/लापरवाही व अपने कार्य को समयावधि में सम्पादित किये जाने के स्थान पर टालमटोल की रणनिति अपनाई जाने के कारण काश्तकारों को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मामलें में भी राजस्व कर्मचारियों की कार्य के प्रति उदासीनता/लापरवाही के कारण अपीलांट को अनावश्क परेशानी का सामना करना पड़ा व न चाहते हुए भी अदालती कार्यवाही से गुजरना पड़ा है। अतः निर्णय की एक प्रति जिला कलेक्टर, बीकानेर को प्रेषित की जावे कि तत्कालीन पटवारी के विरूद्व राजस्थान सेवा नियमों के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

(6) हमने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30—04—2015 का अवलोकन किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में अभिलिखित किया है कि सभी सह काश्तकारों के नाम नोटिस जरिये चस्पादंगी तहसील कार्यालय से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये जा चुके है। इस संबंध में हमने अदालत मातहत द्वारा जारी किये गये नोटिस की पुश्त पर की गई रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलांट को अदालत मातहत द्वारा दिनांक 20—04—2015 को नोटिस जारी किये गये। उक्त नोटिस में अभिलिखत किया गया कि वे दिनांक 23—04—2015 को असालतन या वकालतन उपस्थित होवें। उक्त नोटिस पर दिनांक 22—04—2015 को तामील कुनिन्दा द्वारा नोटिस की पुश्त पर अंकित किया गया है कि प्रार्थी बाहर गया हुआ है मिला नहीं, एक प्रति चस्पा की गई। अदालत मातहत द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को वरियता से बाहर करते हुए अपीलांट के आवंटन के करीब 20 वर्ष उपरान्त दिनांक 30—04—2015 को आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है। अदालत मातहत की उक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्व ारा समस्त कार्यवाही बाले—बाले आनन—फानन में व रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा देने के उद्वेश्य मात्र से आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

(7) अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के आवेदन पर रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं नजरी नक्शे अनुसार चक 12 बीएलडी(बी) के मुरब्बा नम्बर 73/49 के किला नम्बर 22 ता 25 की 4.00 बीघा कमाण्ड भूमि रकबाराज है एवं आवंटन के लिए निर्विवाद उपलब्ध है। जबकि उक्त दिनांक को वादगत् भूमि आवंटन के लिए निर्विवाद रूप से उपलब्ध न होते हुए अपीलांट को आवंटनशुदा भूमि थी। अदालत मातहत का उक्त आवंटन आवंटन नियमों के विपरीत व पूर्व में ही आवंटनशुदा होने के कारण आदेश जैर अपील के माध्यम से किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य व एबइनिशियोवाईड आदेश है। चूंकि वादगत् भूमि का अपीलांट को किया गया

व रेस्पोडेन्ट को किया गया आवंटन पश्चात्वर्ती आवंटन है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि का किया गया पश्चात्वर्ती आवंटन न्यायसंगत, तर्कसंगत व युक्तियुक्त आवंटन की श्रेणी का आवंटन नहीं पाते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है व अपीलांट का आवंटन दिनांक 06—12—1995 बहाल रखा जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का दिनांक 30—04—2015 का आवंटन निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर